संख्या–1792 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांकः 11 जून, 2010**

विषय–उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1712 / 26–2–2010 –3मु0स0 / 2010 दिनांक 07 जून 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें निर्देशित किया गया है कि सर्वेक्षित डाटा की फीडिंग करने के उपरान्त एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर में चेकिंग / सत्यापन कर उसे अंतिम रूप देते हुये एन0आई0सी0 मुख्यालय भेजा जाय। दिनांक 10 जून 2010 को मण्डलायुक्तों की समीक्षा बैठक में यह बात प्रकाश में आयी कि अधिकतर जनपदों में सर्वेक्षण का काम यद्यपि काफी हद तक पूर्ण हो चुका है किन्तु सर्वेक्षित डाटा के कम्प्यूटरीकरण (डाटा इन्ट्री एवं सत्यापन) का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अतः आवश्यक है कि समस्त सर्वेक्षित डाटा की इन्ट्री एवं उसे त्रुटि रहित करने का कार्य तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री एवं उसे त्रुटि रहित करने के उपरान्त डाटा को साफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित करने का प्रावधान किया गया है, किन्तु ऐसा देखा गया है कि जनपदों से जो डाटा एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वो सत्यापित नही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साफ्टवेयर के द्वारा सत्यापित डाटा ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

इस सम्बंध में शासनादेश संख्या–1288 / 26–2–2010–3मु0स0 / 2010 दिनांक 23, अप्रैल, 2010 एवं शासनादेश संख्या– 1712 / 26–2–2010 –3मु0स0 / 2010 दिनांक 07, जून, 2010 के माध्यम से विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

अतः अब तक जो डाटा एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0आई0सी0 मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है उसे तथा उसी क्रम में समस्त डाटा की कम्प्यूटर में फीडिंग एवं त्रुटि रहित करने के उपरान्त उसे साफ्टवेयर में किये गये प्रावधान द्वारा सत्यापित करा लिया जाये, तथा उसे डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0आई0सी0 मुख्यालय को भेज दिया जाये।

दिनांक 10.06.2010 को प्रदेश स्तर पर मण्डलायुक्तों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि यह योजना उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है एवं इसका अनुश्रवण मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर पर सीधे किया जा रहा है अतः इसमें हर स्तर से सतर्कता बरतते हुए दी गयी समय–सारिणी के अनुसार कार्य कराना प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी को सभी विभागों के अधिकारियों की आवश्यकतानुसार ड्यूटी आदि लगाने हेतु पूर्व में ही अधिकृत किया जा चुका है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जो जनपद सर्वेक्षण तथा डाटा के कम्प्यूटरीकरण में पिछड़ गये हैं उन्हें इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक दशा में सर्वेक्षण का पूर्ण कार्य एवं कम्प्यूटरीकरण का पूर्ण कार्य जून माह के अन्त तक अवश्य करा लिया जाय एवं इस संबंध में मण्डलायुक्तों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर सूचना 3 जुलाई 2010 तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

पृ0सं0।792(1)/26–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0
3. निदेशक,एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को प्रेषित करने एवं समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।